

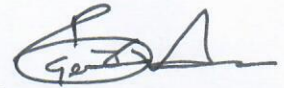
In the Court of Exclusive Spl. Excise court-I, Araria.

Araria (Bairgachhi) P.S. Case No- 256/2022 ; Spl. 1225/2022

31/03/2024 थानाध्यक्ष अररिया बैरगाछी ने निर्गत अधिपत्र के आधार पर अभियुक्त **मो० आजाद**, पिता— **स्व० मो० जावेद**, साकिन— **मानिकपूर**, वार्ड नं०— **10**, थाना— **अररिया बैरगाछी**, जिला— **अररिया** को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त ने प्रार्थना किया कि अपना दोष स्वीकार करना चाहता हूं, प्रथम अपराध है और दण्ड शुल्क जमा करने के लिए तैयार है। अतः आवेदक को दण्ड शुल्क जमा करने का आदेश प्रदान करते हुए उक्त वाद का निष्पादन करने की प्रार्थना किये।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक अभियुक्त उक्त वाद में अपना दोष स्वीकार करना चाहता है जिसपर विद्वान विशेष लोक अभियोजक कोई आपत्ति नहीं जताते हैं। अभियुक्त स्वेच्छा से अपने उपर लगाए गए आरोप को स्वीकार करते हैं। उक्त परिस्थितियों के आलोक में अभियुक्त को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधन) नियमावली 2022 के नियम 18 व 18(क)6 के अनुसार धारा **37(c)** उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत **2500 ₹० (दो हजार पांच सौ रुपये)** की राशि के भुगतान करने या जुर्माना की राशि के भुगतान में चूक होने पर **एक महीना (30 दिन)** का **साधारण कारावास** भोगने का दण्ड आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)



Spl. Judge Excise-I, Araria.

पश्चात्

31/03/2024 अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि दोषसिद्ध अभियुक्त **मो० आजाद** जुर्माना राशि **2500 ₹० (दो हजार पांच सौ रुपये)** नजारात रसीद संख्या **5683** दिनांक **31/03/2024** के माध्यम से जमा कर दिया है। रसीद अभिलेख के साथ संलग्न है। अतः अभियुक्त को इस वाद से मुक्त किया जाता है। **कार्यालय नियमानुसार अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।**

(लेखापित)



Spl. Judge Excise-I, Araria.